न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 27 / 2023 / बाड़मेर

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेंटगण
गणेशाराम पुत्र हरलाल जाति रबारी निवासी हेमावास तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर		1. वीला पुत्र अचला 2. गणेशा पुत्र अचला 3. वेरारा पुत्र खीमा 4. पीथा पुत्र खीमा 5. करसन पुत्र खीमा 6. मेतों पत्नी खीमा जातियान रबारी निवासी हेमावास तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर 7. तगा पुत्र मोड़ा के का.मु. 7/1कानाराम पुत्र तगाराम 7/2हेमराज पुत्र तगाराम 7/3टीकमाराम पुत्र तगाराम 7/4हरियाराम पुत्र तगाराम 7/5लांगों पत्नी तगाराम 8. रामा पुत्र मोडा 9. शंकरा पुत्र मोडा 10. भूरी पत्नी मोडा 11. हरकेन पुत्र हरलाल 12. कृष्ण पुत्र हरलाल 13. सांवलाराम पुत्र महेन्द्रा 14. मसरूराम पुत्र महेन्द्रा 15. लीलादेवी पत्नी हरचन्द 16. वदूदेवी पत्नी महेन्द्रा जातियान रबारी निवासी हेमावास तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर 17. हमीराराम पुत्र तुलछाराम जाति मेगवंशी निवासीयान हेमावास तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर 18. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सेड़वा 19. शाखा प्रबन्धक, बीसीसी बैंक सेडवा 20. शाखा प्रबन्धक, एस बी आई शाखा सेड़वा

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व उपखण्ड अधिकारी सेड़वा द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 28 / 2020 बअनवान वीला वगैरा बनाम तगा के कायम मुकाम में पारित आदेश दिनांक 16.02.2023 के विरूद्व पेश हुई ।

उपस्थित

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

1. वकील श्री बाबुलाल पूनिया अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री पवन धारीवाल रेस्पोडेण्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—21.07.2023

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उतरदाता संख्या 01 से 06 ने अधीनस्थ अदालत में एक राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया था कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 9 रकबा 107.02 बीघा ग्राम हेमावास पटवार क्षेत्र फागलिया तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर में अवस्थित है जिससे लगता हुआ विप्रार्थीगण संख्या 01 से 10 का खातेदारी खेत खसरा संख्या 6 रकबा 20 बीघा व खसरा संख्या 133/7 रकबा 01 बीघा प्रार्थीगण के खेत एवं सड़क के मध्य पड़ता है प्रार्थीगण को सड़क तक पहुंचने के लिये विप्रार्थीगण के उक्त खेत में से चलने वाली कदीमी प्रचलित रास्ते से गुजरना पड़ता है। बरसात के मौसम में विप्रार्थीगण अपनी अन्य भूमि के साथ साथ रास्ते की भूमि पर भी काश्त कर लेते है जिससे प्रार्थीगण का आवागमन अवरूद्ध हो जाता है। इसलिए रास्ते के रूप में प्रयुक्त भूमि को राजस्व रेकर्ड में सरकारी खाते में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने हेतु हस्तगत आवेदन अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण में अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की जा रही है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। उपस्थित दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व में आलोच्य आदेश पारित करते हुए अपीलांटस की खातेदारी भूमि को दो भागों में विभक्त किया गया जिसके विरूद्ध माननीय न्यायालय के समक्ष अपील पेश की गई जिसे माननीय न्यायालय द्वारा स्वीकार करते हुए दिनांक 31.08.2021 को अपीलाधीन आदेश निरस्त करते हुए प्रकरण में अपीलांटस को पुनः सुनवाई का मौका दिया गया। उसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया गया। अपीलाधीन आदेश से जिस स्थान पर रास्ता प्रस्तावित किया गया उस स्थान पर पूर्व में कभी भी रास्ता नहीं था। हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार सेड़वा से

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

मौका रिपोर्ट तलब की गई जो स्वयं ने मौके पर जाये बिना हल्का पटवारी एवं आर आई ने बिना अपीलांटस को सूचित किये एवं मौके पर न जाकर पटवार हल्का छीतर का पार में बैठ कर उतरदाता से सांठ–गांठ कर मौका रिपोर्ट बना कर प्रस्तुत की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। रेस्पोडेंटगण/प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ते का विकल्प मौजूद होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस पर गौर किये बिना अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया गया। रेस्पोडेंटस द्वारा अपीलांट को तंग एवं परेशान करने की नियत से अपीलाधीन आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरुद्ध जाकर पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पोडेंट के अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के नाम जारी सम्मन पर अपीलांट की पर्याप्त तामील करवाई गई। हस्तगत प्रकरण में मौका रिपोर्ट तैयार करने से पूर्व उभयपक्ष के नाम से सम्मन जारी किये गये जिस पर अपीलांटगण की पर्याप्त तामील करवाई गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई उसके आधार पर रेस्पोडेण्टस/प्रार्थी के खातेदारी भूमि में आने–जाने के लिए इस रास्ते के अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। रेस्पोडेंट को उक्त रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। रास्ता रेस्पोडेंट/प्रार्थी की मूलभूत आवश्यकता है जिसका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील पेश कर प्रकरण को अनावश्यक लंबा किया जा रहा है। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। पत्रावली मौका फर्द 14.11.2022 के संलग्न नक्शे में प्रदर्शित रास्ता प्रस्तावित किया गया था जो निकटतम दूरी का है तथा उक्त प्रस्तावित रास्ते पर कच्चा व पक्का निर्माण नहीं है नहीं की कोई कीमती वृक्ष है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। उसके उपरांत भी हाजा न्यायालय द्वारा भी अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया लेकिन अपीलांटगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश से प्रदत्त रास्ते के अलावा रेस्पोडेंटस की खातेदारी भूमि तक आने

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

जाने हेतु किसी भी प्रकार के प्रदत्त रास्ते से निकटतम वैकल्पिक रास्ता का विकल्प नहीं बताया गया। अंतर्गत 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आवेदन एक समरी प्रक्रिया है जिसमें तकनीकी आधार पर प्रकरण का निरतारण कर रेस्पोडेंटस को मिले रास्ते के वैधानिक अधिकार से महरूम नहीं रखा जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तावित रास्ते के अलावा उक्त खसरे तक पहुचने हेतु कोई निकटतम विकल्प नहीं है। रेस्पोडेंटस/प्रार्थी को रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता और अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नहीं होने से न्यूनतम दूरी वाला रास्ता दिया गया है जो नितांत विधि सम्मत एवं युक्तिसंगत है। अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए वाद विस्तृत विवेचन दिया है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती। अपीलांट की केवल हठधर्मिता के मद्देनजर रेस्पोडेंट/प्रार्थीगण को उसको मिले रास्ते के विधिक अधिकार से वंचित रखना न्यायोचित नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ उपखण्ड अधिकारी सेड़वा द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 28/2020 बअनवान वीला वगैरा बनाम तगा के कायम मुकाम में पारित आदेश दिनांक 16.02.2023 को यथावत रखा जाता है।

(प्रतिष्ठा पिलानिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 21.07.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर